न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 01 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. मोहनराम पुत्र उम्मेदाराम 2. भुगनाराम पुत्र उम्मेदाराम 3. पारसराम पुत्र उम्मेदाराम 4. धापुदेवी पत्नी उम्मेदाराम जातियान मेगवाल निवासीयान खनौड़ा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर(राज.)		1. गोटाराम पुत्र पेमाराम 2. लालूराम पुत्र मदरूपाराम 3. बस्ताराम पुत्र मदरूपाराम 3/1सवाराम पुत्र बस्ताराम 3/2ओमाराम पुत्र बस्ताराम 3/3जगदीश पुत्र बस्ताराम 3/4घमंडाराम पुत्र बस्ताराम 3/5 कैलाश पुत्र बस्ताराम घमंडाराम व कैलाश जरिए कुदरती वली माता कमला 3/6कमला पत्नी बस्ताराम सभी जातियान मेघवाल निवासीयान खनोड़ा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 4. लिखमाराम पुत्र मदरूपाराम 5. टेलाराम पुत्र तिलाराम 6. छगनलाल पुत्र तिलाराम 7. तीजो बेवा तिलाराम 8. जसुराम पुत्र मूलाराम 9. सोनाराम पुत्र मूलाराम 10. कूंभाराम पुत्र गोरखाराम 11. डायाराम पुत्र गोरखाराम 12. बाबूराम पुत्र गोरखाराम 13. चम्पाराम पुत्र गोरखाराम 14. जगदीश पुत्र चुतराराम 15. तेजाराम पुत्र चुतराराम 16. पुखराज पुत्र चुतराराम 17. भैराराम पुत्र चुतराराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

02.07.2021

	18. अणसी बेवा रामाराम जातियान मेघवाल निवासीयान खनौड़ा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 18/1 सोजो पत्नी सुखाराम जाति मेघवाल निवासी खारड़ी तहसील पचपदरा 18/2 वीरो पत्नी लिखमाराम जाति मेघवाल निवासी चिड़ियारा तहसील पचपदरा 18/3 खुशाली पत्नी कुंभाराम जाति मेघवाल निवासी बेरिया तहसील पचपदरा 18/4 खम्मा पत्नी सुजाराम जाति मेघवाल निवासी चिड़ियारा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 19. राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 39/2021 बअनवान मोटाराम वगैरा बनाम अणसी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 02.07.2021 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री रूगाराम कड़वासरा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हरीराम चौधरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—04.11.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 07 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि मौजा खनौड़ा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

के खेत खसरा संख्या 427/209 में आने–जाने हेतु अपीलांटस एवं उतरदाता संख्या 08 ता 18 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 319/212 व 364/212 में से होकर रास्ता प्राप्त करने हेतु हस्तगत आवेदन पेश किया गया। प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाले रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि हस्तगत प्रकरण में सहमती पत्र दिनांक 25.08.2020 को पेश किया गया उस रोज खसरा नम्बर 319/212 व 364/212 में कोई किसी प्रकार का हक हिस्सा राजस्व रेकर्ड में विप्रार्थीनी संख्या 01 अणसी का नहीं था जबकि अपीलांट के परिशिष्ट'अ' के मुताबिक अपीलांट अपने हिस्से में से जमीन सार्वजनिक रास्ते में देने हेतु तैयार है मगर अपीलांट के सहमती पत्र अनुसार व प्रार्थीगण के संलग्न परिशिष्ट'अ' के विपरित जाकर अन्य स्थान पर रास्ता पारित करने से तथा अपीलांट न्याय निर्णय में गुमराह कर असुविधा पैदा करने से उक्त आदेश स्वतः ही अपास्त होने योग्य है। विप्रार्थीनी संख्या 01 अणसी बेवाराम वादग्रस्त खसरान की भूमि में अपना सम्पूर्ण हक–हिस्सा रेस्पोडेंटस संख्या 08 ता 11 को नामा संख्या 737 दिनांक 05.07.2020 दान बक्शीस की स्वीकृत कर दी गई जिससे प्रार्थना–पत्र में रेस्पोडेंटस संख्या 08 ता 11 को नही तो पक्षकार बनाया गया तथा न ही उनको नोटिस देकर जानकारी दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व उभयपक्ष के नाम से सम्मन जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्रथम बार दिनांक 04.12.2021 को अपीलांटगण की भूमि में अपीलांटगण की सहमति के विपरित रेस्पोडेंटस द्वारा रास्ता निकालने हेतु उतारू होने व धमकी देने से आदेश की नकल मांगी जिसकी नकल दिनांक 24.12.2021 को प्राप्त हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित किया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से निकटतम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 39/2021 बअनवान मोटाराम वगैरा बनाम अणसी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 02.07.2021 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पालीनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर